न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 33 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. मालाराम पुत्र कासबाराम जाति विश्नोई निवासी गोदावास कला तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 2. किशनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा	1. मदन प्रजापत पुत्र जेठाराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक पचपदरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 35 / 2020 बउनवान मदन प्रजापत बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठूलाल कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि मौजा मंडापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा के खसरा संख्या 1359 / 868 रकबा 01 बीघा अवस्थित रही है, जिसमें वादी संख्या 01 का 16 / 20 हिस्सा है, वादी अपना उक्त हिस्सा वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित बरंग लाल मार्क ए, बी, सी, डी के दर्शाया गया है जो जरिये विभाजन बंटवारा करवाना चाहता है, वादी एवं प्रतिवादी विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त कृषि भूमि का अपासी सहमति से राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम किया हुआ नहीं है, प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज अनुसार हिस्सा है। मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है परन्तु राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुल्ले हुए नहीं है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का व आर आई द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जो सम्मन जारी किये वो मंडापुरा का निवास होना बताकर जारी किये और नोटिस लेने से इंकार करने का उल्लेख नोटिस की पुश्त पर किया गया है। हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ उस वक्त विश्व महामारी कोविड–19 का कुप्रभाव था। इस कारण राज्य सरकार, केन्द्र सरकार ने 20 मार्च, 2020 से आमजन पर घर से बाहर निकलने में प्रतिबंध लगा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोविड काल में परिपत्रों का घोर उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट खेतीहर कृषक अनपढ है जबकि वर्तमान प्रकरण के उत्तरदाता/वादी धनाढय व्यक्ति है तथा इस क्षेत्र का तत्समय विधायक भी रहा है। इस कारण भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा पर अनुचित दबाव भी था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया व सी पी सी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर आर. आई द्वारा उतरदाता/वादी के प्रभाव में आकर वादग्रस्त भूमि पर जाये बिना कमरे में बैठकर वादी के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के भौतिक कब्जा, भूमि की गुणवत्ता तथा रास्ते के प्रावधान का ध्यान नहीं रखा गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस

(नवनीत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं दिये गये। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांटस की मंशा उत्तरदाता/वादी के खातेदारी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर बंटवारा नहीं होने देने की है। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांटगण आज से 07 दिन पूर्व मौके पर आये तो देखा कि मौके पर अकृषि कार्य

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट ने कर दिया, जिस पर इस संबंध में रेस्पोडेंट को कारण पूछा तो रेस्पोडेंट ने कहा कि मैने भूमि का मनचाहा बंटवारा भी करवा दिया है व माफिक बंटवारा मुख्य सड़क पर सम्पूर्ण हिस्सा मैने मेरे नाम से रखवा कर रेकर्ड में अमल दरामद भी करवा दिया है। जिस पर तहकीकात की तो अपीलांटगण को ज्ञात हुआ कि गलत तथ्य बताकर अपीलांटगण को मौजा मंडापुरा का निवासी बताकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी करवा दी है। जिस पर प्रतिलिपि अधीनस्थ में दिनांक 10.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाही जो अपीलांटगण के पुत्र मदनलाल को प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होने पर अपीलांटगण को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने मियाद अधिनियम के बिंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण के नाम से सम्मन जारी किये गये जो अपीलांटगण से विधिवत तामील करवाये गये जो पर्याप्त तामील की श्रेणी में आते हैं। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अपीलाधीन आराजी का बंटवारे के संबंध में किसी प्रकार का कोई परिशिष्ट नक्शा अपनी तरफ से पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश किया, जिस पर दिनांक 15.10.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2020 बउनवान मदन प्रजापत बनाम मालाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

5/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर